

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 562-पीबीआर/2009 विरुद्ध आदेश दिनांक 20-2-2009 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 74/अपील/2005-06.

जमनाप्रसाद आत्मज कुंजीलाल मालवीय
 निवासी ग्राम पान तलाई तहसील टिमरनी,
 जिला हरदा

..... आवेदक

विरुद्ध

1-नानकराम आत्मज राधेश्याम गुर्जर
 2-रामचन्द्र आत्मज नानकराम गुर्जर
 निवासीगण ग्राम पान तलाई तहसील टिमरनी,
 जिला हरदा

.....अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक- आवेदक

श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभिभाषक-अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 14/6/2009 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-2-2009 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।


2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ग्राम पानतलाई स्थित भूमि खसस नम्बर 288/1 कुल रकबा 0.79 एकड़ का अभिलिखित भूमिस्वामी हैं।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

आवेदक द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु तहसीलदार रहटगाँव तहसील टिमरनी का आवेदन दिया गया । सीमांकन में अनावेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया है । आवेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/अ-70/1999-2000 दर्ज कर दिनांक 20-12-2005 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24-4-2006 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई तथा आवेदक को कब्जा दिलाये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20-2-2009 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त एवं तहसील न्यायालय ने सीमांकन प्रकरण में पैमाइश को विधिवत् ना मानकर गलती की है इसलिये उनके द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार विहिन आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि विवादित भूमि के संबंध में फील्डबुक से नक्शे को देखकर निष्कर्ष निकालना था कि सीमांकन विधिवत् हुआ है, जिसके संबंध में विधिवत् सूचना भी अनावेदकों पर तामील हुई है । आवेदक सीमांकन के समय उपस्थित नहीं था । यदि सीमांकन की कार्यवाही से अनावेदकगण परिवेदित थे तो उन्हें तत्समय सीमांकन कार्यवाही के विरुद्ध उचित कार्यवाही करना चाहिये थी । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त एवं तहसील न्यायालय ने अनावेदकों के सीमांकन आवेदन पर राजस्व निरीक्षक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन को सत्य मानकर




त्रुटि की गई है इसलिये भी उनके द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमि कय की गई है, इसलिये अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिवत् आदेश होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा यह मान्य किया गया है कि आवश्यकतानुसार संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही देखी जा सकती है । तहसीलदार ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 250 का आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि सीमांकन सही नहीं हुआ है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने सीमांकन का परीक्षण कर उसे सही माना है । अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि सीमांकन में कोई त्रुटि नहीं है तथा सीमांकन दिनांक 7-6-1999 से दो वर्ष के भीतर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । सीमांकन दिनांक 7-6-1999 को हुआ है, इसकी पुष्टि तहसीलदार के समक्ष गवाहों द्वारा की गई है अनावेदकगण का सीमांकन किन्हीं कारणों वश नहीं हुआ है, परन्तु इस आधार पर आवेदक के सीमांकन को त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र की समय सीमा सीमांकन के दिनांक से प्रारंभ होगी । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि एवं न्याय की भूल की गई है, इसलिये उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।


6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-2-2009 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय



अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-4-2006 स्थिर रखते हुये प्रश्नाधीन भूमि से कब्जा हटाने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 563-पीबीआर/2009 (शिवजी आत्मज गेंदालाल गुर्जर निवासी ग्राम पान तलाई तहसील टिमरनी जिला हरदा एवं अन्य तीन विरूद्ध नानकराम आत्मज राधेश्याम गुर्जर निवासी ग्राम पान तलाई तहसील टिमरनी जिला हरदा एवं अन्य दो) एवं निगरानी प्रकरण क्रमांक 564-पीबीआर/2009 (सुशीलाबाई बेवा भागीरथ सुनार निवासी ग्राम पान तलाई तहसील टिमरनी जिला हरदा एवं अन्य सात विरूद्ध नानकराम आत्मज राधेश्याम गुर्जर निवासी ग्राम पान तलाई तहसील टिमरनी जिला हरदा एवं अन्य दो) पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये ।




(मनोज गोयल)

अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर